UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Commerce
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 19-21
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Non-Governmental Organisations (NGOs) - Contribution to Rural Development in India

According to Mahatma Gandhi, India does not live in its towns but in its villages. For India to develop in a sustainable manner the rural parts of the country too should be considered when designing the economic and social policies. The Indian government has a separate Ministry of Rural development to look after the matters pertaining to rural affairs but the government alone cannot undertake the behemoth task of improving the rural health. This failure happens due to various reasons but primarily due to non involvement and disinterest shown by the population for which such policies are made. The voluntary associations or the nongovernmental organisations commonly referred as NGOs have been actively participating in the reconstruction and upliftment of rural India through interventions of varied nature and forms. This paper highlights the role NGOs perform in rural development in India. It also attempts to analyze the different approaches adopted and the issues and challenges faced by the NGOs.
Key Words : NGOs, Rural Development, intervention, roles, sustainability, rights based approach, governance.

PRADEEP KUMAR

Introduction :

As per the Ministry of Rural Development, Rural development implies both the economic betterment of people as well as greater social transformation. Increased participation of people in the rural development programmes, decentralization of planning, better enforcement of land reforms and greater access to credit are envisaged for providing the rural people with better prospects.

Initially, main thrust for development was laid on agriculture, industry, communication, education, health and allied sectors. Later on, realizing that accelerated development can be provided only if governmental efforts are adequately supplemented by direct and indirect involvement of people at the grass root level, the thrust shifted.

The problems of poverty, growing inequality, rapid population growth and rising unemployment all find their origins in the poor growth and degradation of economic life in rural areas. Most of the rural people are poor and disadvantaged and their sufferings originate from low income and also from illiteracy, ill-health, ignorance and various kinds of deprivations.

The government has gained very limited success in the fulfilment of the social development objectives due to many reasons but primarily due to the lack of participation of the stakeholders i.e. the rural people, who hardly had any influence and say in the development activities. The purpose of this paper is to examine the process of rural development in India and to examine the role of NGOs in rural development.

Meaning of Rural Development :

According to the World Bank policy document on Rural Development (1975), Rural development activities must be clearly designed to increase production. It recognizes that improved food supplies and nutrition, together with basic services, such as health and education, not only directly improve the physical well-being and quality of life of the rural poor, but can also indirectly enhance their productivity and their ability to contribute to the national economy. Rural development modernises the rural economy and also creates means of livelihood which helps in reducing the divide between the different strata of the economy and society.

It is now widely considered that rural development as a stakeholder oriented programme should be viewed as a process of change to be brought and faced by the people or the beneficiaries. For this to occur the people have to be organized and provided the necessary tools to ensure their active participation in the development process.

Traditionally this role was to be performed by the government at various levels national, state and local but has failed at addressing the key issues in rural economic development. This role is appropriately suited to the Non-Governmental Organizations (NGOs) which have become necessary entities for putting people's needs and grievances at

Department of Management Studies, Faculty of Commerce & Management, Kumaun University, Nainital (Uttarakhand)

the front in various forums. In recognition of this government policy has also become one to encourage voluntary action through such NGOs to contribute at various levels.

Voluntary effort has always been an important part of Indian culture and social tradition as seen in the period before independence as well as in the post-independence era in the form of the continual need for organizing people into accredited associations and their involvement and participation in rural development. With the growing levels of education and aspirations for attainment of sustainable and efficient governance practices the number of NGOs has increased and they have acquired greater importance and significance and have done commendable work in the field of rural development.

Concept of NGO :

According to UNESCO Encyclopaedia Article 1.44.3.7, an NGO is defined as, "an independent voluntary association of people acting together on a continuous basis, for some common purpose, other than achieving government office, making money or illegal activities."

The World Bank (1990), sees Non-governmental organizations as private agencies; indigenous groups organized regionally or nationally and member groups in villages that support international and national development and partnering with governments in global development initiatives.

The term NGO is used interchangeably with Voluntary Action, Voluntary Agencies, Voluntary Development Organizations, Voluntary Associations, Non Political Formations, Social Action Groups, Grass Root Organizations, Community Development Organization, Social Work Agencies etc. The interchangeable use of a wide range of terms reflects the complex nature of the phenomena exhibited by NGOs.

In India, just like any other country having a considerable population falling under the definition of "Rural" i.e. primarily agriculture based and having low density, rural development is a complicated responsibility not to be left completely to the government.

The Indian Economic Policy since 1991 has seen private sector more efficient in production of goods and delivering of services of social nature and this is reflected in the faith shown in NGOs by the governments in undertaking rural development tasks.

NGOs are seen as cost effective and efficient service providers and successful in reaching those poor who may not be reached by the market process or the state. (Bhat,1995)

The Ministry of Rural Development states promotion of involvement of voluntary agencies and individuals for rural development as one of its aims.

NGOs in India are legally registered under the Society Registration Act 1860, Indian Trust Act 1882, the Co-operative Societies Act, 1904, the Joint Stock Companies Act, 1956 in order to meet the judicial requirements. To avail the foreign contribution, they need to register under Foreign Contribution Regulation Act, 1976. But most of the NGOs in India are registered under Society Registration Act.

They are active from the grassroots level to the National and International level in different roles. They focus upon wide ranging issues including gender, environment, human rights, social justice, education, health etc.

NGOs can play the role of lobbyist when multiple NGOs come together to an event such as a policy convention or a business summit where they work in coalition to influence policy matters and decisions to their advantage.

Approaches adopted by NGOs :

The NGOs may adopt different strategies depending upon the level of infrastructure support, financial funding along with the governance support from the local officials.

The NGOs have shifted their approach from being involved in direct implementation to that of supporting local enablers. The voluntary organisations have changed the objective of their activities from being charity and welfare based project completion to sustainable development.

The approaches of NGOs in such perspective may be classified as below.

(i) Service based Approach: In this approach the NGO is primarily involved in completing social welfare tasks such as providing funds to a school or digging a well in a village. This approach may also be called Project based approach as it focuses merely on completion of a goal rather on creating sustainable resources and base in the local environment.

The Service based approach requires considerable efforts and funds from the NGO as it does not harness local resources and thus has a limited scope and impact.

(ii) Rights based Approach: In this approach the NGO tries to create motivation and need among the local populace as without the support and willingness of the people themselves the effort spent by any external agency will not sustain over time. The main focus of this approach is to empower the beneficiaries by creating awareness and educating them about their rights. The emphasis is on establishing good governance which will lead to sustainable growth and initiatives.

The service based approach can be followed where external funding is available like in areas of Water, education and agriculture. Sustainability can be achieved by building micro level community institutions.

Role Played by NGOs :

NGOs have performed tremendous role in the community development in rural areas in various fields. The organisations have worked to integrate the local machinery and resources and efforts to result in sustainable growth.

The NGOs play the following roles in areas of rural development.

(1) Capacity Building Programmes

(i) Imparting Life skills to the villagers such as Vocational training, Social skill support, Non-formal education

(ii) Rural Health- Reproductive and Child healthcare, Hygiene & sanitation, Creating Curative linkages

(iii) Community Mobilization through Motivational programmes like Creating Village champions, Women empowerment

(2) Natural Resource Management Programmes :

(i) Water Management Imparting knowledge about Collection, Conservation, Purification and wastewater disposal

(ii) Agriculture Management-Imparting techniques of farming, Distribution of High quality seeds, Organic farming

(3) Rural Research Programmes :

(i) Collecting and creating baseline data on the basis of which other firms or government can form policies/ schemes

(ii) Conduct Impact assessment of various schemes on the beneficiaries

(iii) Creating Linkages through local officials and share data and information

(4) Policy & Governance Programmes :

(i) Awareness Creation Right to Information, Right to Education, Government schemes

(ii) Creating accountability- Public Distribution System

(iii) Creating Linkages- Liaison with local officials

(5) Income Enhancement :

(i) Agro-Allied Industry setups

(ii) Trade & Industrial promotion- Ensuring Market Availability, Marketing of products, Cottage industries

Issues and Challenges faced by NGOs :

Some of the problems faced by NGOs in India are as follows.

(1) Financial constraints : The funds available to the firm are limited and this may result in inadequacy to fulfil a project in case of unforeseen circumstances.

(2) Insecurity : There may be distrust in government officials that NGOs may reduce their role and importance as they share common areas of operation and functions. This distrust may also be on the side of NGOs which think government officials to be insincere in their dealings.

(3) Non involvement of local population : The NGO involved may make a wrong assessment of the local resources which results in poor execution of a project

(4) Corruption : There is large scale corruption in the selection of NGO and sanctioning of funds for development which is due to the reason that a large number of NGOs are promoted by politicians.

(5) Misuse of funds : Misappropriation of funds received by government or any funding agency.

Conclusion :

The NGOs face various forms of challenges and they should remain prepared to face new challenges like shortage of funds, stoppage of funds in order to become sustainable. The narrow economic base in rural India results in poor employment opportunities. Several NGOs have taken the task to educate the village people about self governance.

Rural development has the rural dwellers as the focus of attention and they alone can effectively identify their problems and adequately identify their actual needs. It is essential that they be involved in the design and implementation of development programmes meant to improve their welfare.

Therefore, rural development initiatives should start from the people themselves in a bottom- up strategy. The onus lies on the NGOs who should penetrate the rural communities to engage them and bring them in a participatory development process for the rapid development of the rural areas. NGOs unlike the government machinery are relatively flexible and can be effective at obtaining true meaningful participation of the intended beneficiaries, as well as achieving the correct relationship between the development process and outcomes. There should be collaboration among the different levels of NGOs. There should be a high level of collaboration among the various levels of NGOs such as community based organizations, citywide organizations, National NGOs, and international NGOs. Such coalition among NGOs will enable them to achieve goals in a collaborative manner where they share similar objectives and vision through strategic partnerships.

References :

(1) *Billis, David (1989): "A Theory of the Voluntary Sector; Implications for Policy and Pr Voluntary Organization, London School of Economics and Political Science, London.*

(2) *Fogarty M (1990) : "Efficiency and Democracy in Large Voluntary Organization." Policy Studies, Vol. 11(3).*

(3) *Jain RB (1997) : NGOs in India; Their Role, Influence and Problems; in Bawa N, Knishka Publishers and Distributors New Delhi.*

(4) *Joaquin L Gonzalez. III (1997) : "The Influence of Organization and Management Theory or Rural Development Studies." Journal of Rural Development. Vol. 16(2).*

(5) *M. Edwards and J. Gaventa (eds.) (2001) : Global Citizen Action, major collection of essays on global issue-based networks.]*

(6) *Pandey SR (1991) : "Community Action for Social Justice; Grassroots Organizations in India, Sage, New Delhi.*

(7) *Willets, Peter (2017, December 25): "What is a Non-Governmental Organization?". Retrieved from http://www.gdrc.org*

❁❁

UGC -

Approved - Journal

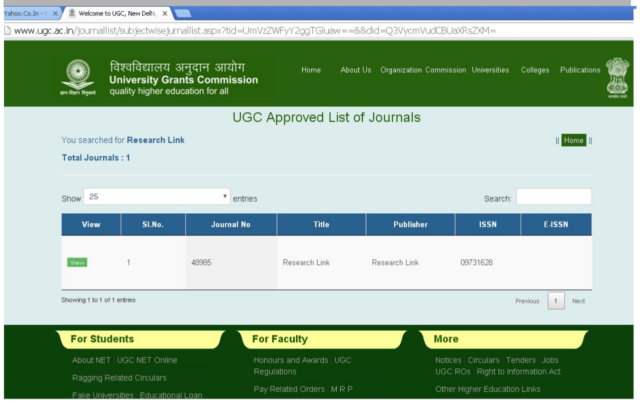

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Commerce
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 22-23
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

भारत में बेरोजगारी की स्थिति का अध्ययन (वैश्विक रिपोर्ट्स के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में, भारत में बेरोजगारी की स्थिति का अध्ययन, विभिन्न वैश्विक रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया है। युवा शक्ति अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। वैश्वीकरण से जुड़ चुके हैं। उनके सामने सच भी है और झूठ भी है। वे बिल्कुल चिंता नहीं करते, उनके पालक चिंता नहीं करते, वे भी सभी सच्चाइयों से भलीभांति परिचित हैं। राजनीति से हटकर युवा शक्ति जो सोचती है, वह यह है कि चाहे उन्हें नौकरी दी जाए या उनका कौशल विकास किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाए, वह देश और चिंतित समाज के लिए कल्याणकारी होगा।

डॉ.सत्यम् सोनी

भारत युवा शक्ति का देश है। रोज़गारी–बेरोज़गारी, बेकारी, आर्थिक कठिनाइयाँ, गरीबी को लेकर आये दिन विभिन्न माध्यमों से जो रिपोर्ट और आंकड़ें आते हैं, उन सबकी विश्वसनीयता के बारे में हम–आप सभी जानते हैं। आंकड़ें होते वही हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़ों का खेल, विभिन्न माध्यमों की नीतियों के तहत पहला हिस्सा जो अपने काम का होता है, ले लेते हैं। शेष को दूसरे नंबर पर रख देते हैं। सबकी अपनी–अपनी भाषा और प्रस्तुति की कला विभिन्न माध्यमों में अपना कमाल दिखाती हैं, जो सबकुछ हम सबके सामने है।

सन् 1991 में भारत में वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनाई गई। फलस्वरूप हम विश्व के साथ जुड़ गए। हमारे बाज़ार, कारोबार, उद्योग, व्यापार, कला, संस्कृति आदि प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि ये वैश्विक जुड़ाव का ही परिणाम है कि विश्व बाजार के हवाले उत्पाद और उपभोक्ताओं की रूचि प्रमुख हो गई। सभी माध्यमों से विशेषकर दृश्य माध्यमों से जो चमक–दमक और जिस तरह से बाज़ार, व्यापार–कारोबार का कब्जा पूरे परिवार पर चाहे वह अमीर हो कि गरीब या बेरोजगार सभी के मोबाइल के माध्यमों से बेडरूम तक पहुँच चुका है। यहाँ तक कि कोई भी दृश्य मीडिया देखें तो सबसे पहले विज्ञापनों की भरमार मिलती है। सभी में चकाचौंध की दुनिया, उससे जुड़े युवा शक्ति एवं परिवार से जुड़े विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधि अभिनेता, खिलाड़ी आदि का उपयोग सचित्र करते हैं और फिर कहा जाता है कि इस बाजार से खरीदो, उस बाजार से खरीदो, एक के साथ चार फ्री आदि प्रलोभन दिये जाते हैं। निश्चय ही इससे भारत के साधारण उपभोक्ता भी अनावश्यक वस्तुएँ भी खरीद ही लेता है। और बाज़ार से ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। अर्थव्यवस्था से ही नीतियाँ बनाई जाती हैं। तात्पर्य यह कि बाजार की चपेट में सब कुछ आ चुका है। ऑनलाईन बाजार अलग प्रतिस्पर्द्धा में खड़ा है और आंकड़े बताते हैं कि वह भी विस्तार ले चुका है। चिन्ता केवल बेरोजगारों की नहीं, देश की आर्थिक स्थिति की है।

भारत में बेरोजगारी की स्थिति :

वैश्वीकरण होने के बाद भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर ही बात करें तो युवा शक्ति के लिए चाहे, रोजगार के लिए प्रतिस्पर्द्धा बड़ी हो, नौकरियाँ कम–ज्यादा हुई हो, लेकिन उनका मानसिक परिवर्तन सूचना विस्फोट से और विश्व मीडिया से जुड़ने के कारण उनमें यह जागरूकता आई है कि वे रिपोर्टों के अनुसार स्किल की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। उनकी दिशा ही बदल चुकी है, तो उन्हें नौकरियाँ नहीं चाहिए, वे अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से यह रिपोर्ट्स सामने आ रही है, जिसमें भारतीय युवाओं में कौशल की कमी की बात कही गई है। लेकिन धीरे–धीरे यहाँ की तस्वीर बदल रही है। इसका प्रमाण यह है कि, **ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्ड्ट्रीज और यूनाइटेड नेशंस डेवलमेंट प्रोग्राम** जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के अलावा दो स्वतंत्र एजेंसियों **पीपलस्ट्रांग ओर वीबॉक्स** के संयुक्त सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के नए स्नातकों में रोजगार की योग्यता में वृद्धि हुई है। यह सर्वेक्षण 120 कंपनियों और 5.1 लाख छात्रों के पिछले साल के मुकाबले स्नातकों में कॉर्पोरेट नौकरियों के लायक योग्यता पैदा हुई है। जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार की स्थिति वर्ष 2016–17 में 50.69 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2017–18 में 51.52 प्रतिशत हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र मजदूर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2017 और 2018 के बीच सीमांत वृद्धि का अनुमान है, जो कि देश में नौकरी सृजन में स्थिरता का संकेत है।

2016 में भारत ने नौकरी सृजन के मामले में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, जब दक्षिणी एशिया में 13.4 मिलियन नए रोजगार के ''बहुमत'' देश में हुआ था। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया था कि 2016 में भारत की 7.6 प्रतिशत वृद्धि ने दक्षिणी एशिया को उस वर्ष में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की थी।

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा (मध्यप्रदेश)

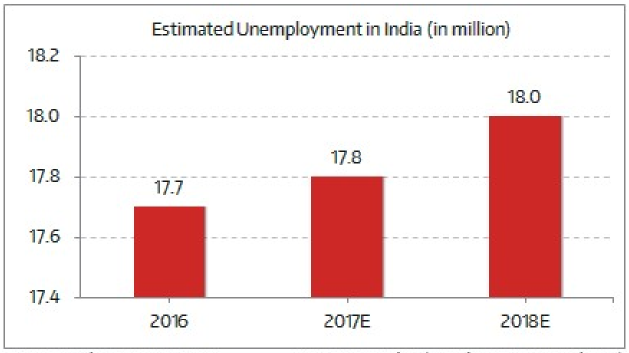

www.equitymaster.com Source: United Nations International Labour Organisation

उभरते हुए देशों में बेरोजगार लोगों की संख्या 2016 और 2017 के बीच लगभग 3.6 मिलियन से बढ़ने की उम्मीद है। (जिसके दौरान उभरते देशों में बेरोजगारी की दर 5.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 2016 में यह 5.6 प्रतिशत है।)

रिपोर्ट में इतना अलग कहा गया है कि भारत में नौकरी सृजन 2017–18 में गति लेने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है, जो प्रतिशत के मामले में करीब स्थिर रहने का प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपने 2017 विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया, जो रोजगार की जरूरतों के पीछे आर्थिक वृद्धि के रुझान को देखती है और 2017 में बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक असमानता की भविष्यवाणी करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, ''भारत में बेरोजगारी का अनुमान पिछले साल 17.7 मिलियन से बढ़कर 2017 में 17.8 मिलियन और अगले साल 18 मिलियन हो गया। प्रतिशत की संख्या में, 2017–18 में बेरोजगारी दर 3.4 प्रतिशत रह जाएगी।''

''विनिर्माण विकास ने भारत के हालिया आर्थिक प्रदर्शन को कम किया है, जो क्षेत्र के कमोडिटी निर्यातकों के लिए बफर मांग में मदद कर सकता है।'' इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि, वैश्विक बेरोजगारी के स्तर और दरों को अल्पावधि में उच्च रहने की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक श्रम बल बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से, वैश्विक बेरोजगारी दर 2017 में बढ़कर 5.8 प्रतिशत (2016 में 5.7 प्रतिशत) से बढ़ने की उम्मीद है।

यह बात अवश्य है कि आईएलओ के महानिदेशक एवं आर्थिक चिंतक **रायडर** का कहना है कि, ''हम वैश्विक आर्थिक और सामाजिक संकट के कारण हुए नुकसान की मरम्मत और हर साल लाखों नए श्रमिक बाजार में प्रवेश करने वालों के लिए गुणवत्ता की नौकरियों की मरम्मत की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं।''

इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, 2017 में बेरोजगारी के स्तर और दरों में वृद्धि उभरती देशों में श्रम बाजार की खराब स्थितियों से प्रेरित होगी, क्योंकि 2016 में कई गहरी मंदी के प्रभावों ने 2017 में श्रम बाजार को प्रभावित करना जारी रखा है।

और भी कई वैश्विक रिपोर्ट्स जारी हुई हैं और सबकी अपनी–अपनी राय है। आईएलओ के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के प्रमुख लेखक **स्टीवन टोबिन** ने कहा, ''उभरते हुए देशों में दो से एक कर्मचारी रोजगार के कमजोर रूपों में हैं, जो विकासशील देशों में पाँच से चार कार्यकर्ताओं में बढ़ रहा है।'' यह आंकड़ा उभरते हुए देशों के लिए भी बदतर है। दक्षिणी एशिया और उप–सहारा अफ्रीका में रहने वाले लोग सबसे बड़ा जोखिम का सामना कर रहे हैं। इसके विपरीत, 2017 में विकसित देशों (670,000 तक) में बेरोजगारी की उम्मीद है, जो कि दर 2016 में 6.3 प्रतिशत से घटकर 6.2 प्रतिशत हो जाएगी।

यद्यपि अलग–अलग वैश्विक रिपोर्ट्स भारत के संदर्भ में अपनी–अपनी तरह से आंकड़े देती है, फिर उन आंकड़ों का विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया जाता है। देशकाल परिस्थिति और विशेषकर राजनीतिक संदर्भ, बनते–बिगड़ते गणित से किसी भी देश की नीतियाँ और उसका प्रभाव समाज की युवा शक्ति पर निश्चय ही पड़ता है। कौशल की ओर ध्यान जाने से यह नहीं कह सकते कि वह एकदम बेरोजगार है, केवल नौकरी के संदर्भ में देखें तो वह बेरोजगार है, लेकिन वह स्वयं अपना निर्णय लेता है और विभिन्न राजनैतिक संदर्भों, माध्यमों (जिसमें सोशल मीडिया अधिक शामिल है) से जो कुछ भी परोसा जाता है, उसमें से विचार कर अपना मार्ग चुनती है। यह बड़ा युवा शक्ति का मानसिक परिवर्तन है, जिसे निश्चय ही रेखांकित किया जाना चाहिए कि वह अपने पाँव पर अपनी ताकत से खड़ा हो रहा है। जितना वह अपने बेरोजगार होने के बारे में नहीं कहता, उससे अधिक माध्यमों से मिल रहा है, लेकिन वह निर्णय लेने में सक्षम है कि उसका भविष्य सुरक्षित है। यह माना जा सकता है कि भारत एक दशक से भी अधिक समय तक आर्थिक संघर्ष कर रहा है, किन्तु वस्तुस्थिति तो उसके विकास और विस्तार के साथ रखकर देखें तो न्याय किया जा सकता है।

सेंट्रल फॉर मानीटरिंग इंडिक इकोनॉमी प्रायवेट लि. ने 2017 के प्रारंभ के 4 महीनों में एक सर्वे किया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अप्रैल के बीच बहुत बेरोजगार हुए थे और इसका पूरा आरोप वर्तमान नीतियों पर डाल दिया गया था। इसी तरह पूरा मामला विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के बीच बंट गया और जो सच्चाइयाँ आई हैं, उससे हम परिचित हैं।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष यह कि चकाचौंध की दुनिया से हटकर विवेकपूर्वक विचार करें तो विकास के माध्यम और लक्ष्य के माध्यम से उम्मीदें निश्चय ही बढ़ी हैं। युवा शक्ति बेरोजगारी में भी खुश है, क्योंकि वह जानती है कि भविष्य कौशल का है और वह उसके लिए तैयार है। इस सच्चाई को भी आज का युवा जान गया है कि जो कुछ भी माध्यम पर आता है, वह देशकाल, समाज, स्थितियों, परिस्थितियों, चुनाव, नतीजों में आ रहा है। यह तो पक्ष–विपक्ष और पार्टियों के बयान हैं, सही स्थिति निश्चय ही भिन्न है। पार्टियाँ अपने–अपने वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए तिल को ताड़ और मुद्दे को पहाड़ बनाते एक–दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। यह चिंता का विषय है और राजनीति से हटकर जो कुछ भी युवा शक्ति के लिए चाहे नौकरी दी जाए या कौशल विकास किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाए, वह देश के लिए कल्याणकारी होगा।

संदर्भ :

(1) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्ड्रीज और यूनाइटेड नेशंस डेवलमेंट प्रोग्राम व दो स्वतंत्र एजेंसियों पीपलस्ट्रांग और वीबॉक्स की रिपोर्ट। ***(2)*** *अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट।* ***(3)*** *www.equitymaster.com*

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Commerce
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 24-25
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

व्यवसाय सरलीकरण हेतु 'उद्यम आकांक्षा' : परिचयात्मक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र व्यवसाय सरलीकरण हेतु 'उद्यम आकांक्षा' के परिचयात्मक अध्ययन से सम्बंधित है। उद्यम आकांक्षा व्यवस्था के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य आज पूरे देश में रोल मॉडल बन चुका है। देश के विभिन्न राज्य यथा राजस्थान, झारखंड, बिहार आदि राज्यों ने यहाँ का अनुसरण करते हुए उद्यम आकांक्षा की व्यवस्था को लागू किया है। उद्योग विभाग की इस व्यवस्था से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के कार्यभार में भी कमी आई है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को अनुदान या छूट से सम्बंधित प्रपत्रों को संचालनालय में जमा नहीं करना होता है, क्योंकि उद्योग प्रस्ताव एवं पंजीकृत उद्योगों की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त हो जाती है। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहेगी एवं भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार की सरलीकृत, स्वप्रमाणीकरण एवं पंजीकरण प्रक्रिया उद्यमी वर्ग एवं राज्य शासन दोनों के लिए लाभकारी होगी।

डॉ.राजेन्द्र शुक्ला* एवं मीना पिंजानी**

वर्तमान आर्थिक परिवेश में उद्योग धंधों की स्थापना एवं विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उद्योग स्थापना हेतु भासन के विभिन्न विभागों, निकायों एवं अन्य संस्थाओं की अनुमति एवं अनापत्तियों की आवश्यकता होती है। तीव्र औद्योगिक विकास के लिए उद्योग स्थापना प्रक्रिया को सरलीकृत कर निवेश एवं रोजगार में भी वृद्धि की जा सकती है। उद्योग स्थापना हेतु उद्योगों का पंजीकरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है। शासन की विभिन्न अनुदान योजनाओं, छूट एवं रियायतों की पात्रता हेतु भी औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होता है।

वर्ष 2006 से पूर्व उद्यम स्थापना हेतु प्रस्तावित पंजीयन (अस्थायी पंजीयन) की व्यवस्था थी, जिससे उद्योग स्थापना हेतु विद्युत कनेक्शन, विक्रय कर पंजीकरण, भूमि तथा वित्त व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उद्योग स्थापना के पश्चात् स्थायी पंजीयन किया जाता था, जिसके तहत वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तिथि से समस्त सुविधायें एवं अनुलाभ औद्योगिक इकाई को प्राप्त होते थे। वर्ष 2006 से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम लागू होने के पश्चात् ई.एम. पार्ट–1, अस्थायी पंजीयन के स्थान पर तथा ई.एम. पार्ट–2 (स्थायी पंजीयन) की व्यवस्था लागू की गयी। इस प्रकार के पंजीयन से उद्योगों की स्थापना, पंजीयन एवं अन्य सूचनाएँ ऑनलाईन उपलब्ध होने लगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हुआ। उद्योगों को स्थायी पंजीकरण (ई.एम. पार्ट–2) हेतु निरीक्षण अनिवार्य रूप से करवाना होता था, इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई एवं उद्यमियों को असुविधा हुई।

केन्द्र शासन द्वारा 'ईज आफ डूईंग बिजनेस' के तहत सितम्बर 2015 को निरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर स्वप्रमाणन की व्यवस्था लागू की गयी। इस प्रकार ई.एम. पार्ट–1 एवं ई.एम. पार्ट–2 के तहत पंजीयन को समाप्त कर विद्यमान इकाई अर्थात ई.एम. पार्ट–2 धारित इकाई हेतु 'उद्योग आधार' को आरम्भ किया गया। इसके अंतर्गत नवीन इकाई को उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात् उद्योग आधार हेतु आवेदन करना होगा। इस प्रकार इस नवीन प्रक्रिया में उद्यमी को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिससे औपचारिकताओं एवं प्रपत्रों की संख्या में बहुत कमी हुई है। इसके अलावा बैंक ऋण सुविधा, टैक्स भुगतान, स्वप्रमाणन, भ्रष्टाचार से मुक्ति तथा निवेश प्रोत्साहन योजनाओं आदि का भी लाभ प्राप्त होता है। यह व्यवस्था चालू औद्योगिक इकाइयों अर्थात् ई.एम. पार्ट–2 धारित इकाइयों हेतु लागू की गयी, किन्तु राज्य में नवीन उद्यम स्थापना करने वाले उद्यमी जो कि ई.एम. पार्ट–1 के माध्यम से सूचना देते थे, इसके विकल्प में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। अतः नवीन इकाइयों को विद्युत कनेक्शन, टैक्स हेतु पंजीकरण, पर्यावरण अनापत्तियों आदि हेतु समस्याओं का सामना करना पड़ा। राज्य में निवेशकों को औद्योगिक नीति में छूट अथवा रियायतों का लाभ लेने में तकनीकी एवं व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थी। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्र शासन द्वारा राज्यों को वैकल्पिक व्यवस्था का अधिकार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के उद्योग विभाग की 'ईज आफ डूईंग बिजनेस' की अवधारणा के अनुरूप पंजीयन एवं स्वप्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए फरवरी 2016 को ई.एम. पार्ट–1 के विकल्प के रूप में उद्यम आकॉक्षा की व्यवस्था की गयी जिसके तहत राज्य में स्थापित होने वाली नवीन इकाईयों को निःशुल्क स्वपंजीकरण कराना होगा। राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या बहुतायात है एवं भविष्य में भी इनकी स्थापना तेजी से होगी, अतः नवीन इकाइयों को निःशुल्क ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा प्राप्त होगी।

तालिका 1 में राज्य में कुल 19541 प्रस्तावित पंजीयन में अधिकतम संख्या वाले जिलों की आवेदन संख्या दी गयी है।

**शोध-निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

तालिका 1 : 'उद्यम आकाँक्षा' के अंतर्गत राज्य के प्रमुख जिलों की प्रस्तावित आवेदन संख्या (फरवरी 2016 से दिसम्बर 2017 तक)

जिले का नाम	आवेदन संख्या
रायपुर	4193
दुर्ग	2162
जंजगीरचांपा	1464
बिलासपुर	1179
बलोदाबाजार	1128
रायगढ़	1091
राजनांदगांव	1091

स्त्रोत : industries.cg.gov.in/udtank_total_info.aspx

सर्वाधिक आवेदन रायपुर एवं दुर्ग जिले से प्राप्त किए गए हैं। उपरोक्त में से प्रत्येक जिले से 1000 से अधिक उद्यम प्रस्ताव थे। राज्य के अन्य जिलों में उद्यम प्रस्तावों की संख्या 37 से 959 के मध्य है। रायपुर एवं दुर्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिले हैं, उपरोक्त जिलों में उद्यमशीलता एवं जागरूकता भी है। प्रस्तावित पंजीयन की संख्या से स्पष्ट है कि राज्य में उद्यमी विकसित जिलों में ही उद्यम स्थापना हेतु अभिरूचि रखते हैं।

तालिका 2 : 'उद्यम आकाँक्षा' के अंतर्गत निवेश के आधार पर उद्योग प्रस्ताव (फरवरी 2016 से दिसम्बर 2017 तक)

उद्यम	संख्या	प्रतिशत
सूक्ष्म उद्योग	12613	64.54
लघु उद्योग	5858	59.97
मध्यम	224	1.14
वृहद	327	1.67
मेगा	111	0.57
अल्ट्रामेगा	408	2.08
कुल	19541	

स्त्रोत : industries.cg.gov.in/udtank_total.info

तालिका 2 से स्पष्ट है कि राज्य में निवेश के आकार के आधार पर राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना की सूचना हेतु ऑनलाईन आवेदन किए जा रहे हैं। उद्यम प्रस्तावों का 50 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म उद्यमों हेतु भरा गया है। उपरोक्त उद्यमों में पूँजी निवेश की सीमा 25 लाख रू. तक है एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिकांश सहायता एवं अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ही दिए जाते हैं। कुल आवेदन का लगभग एक तिहाई लघु उद्यम तथा शेष वृहद मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों हेतु प्रस्तावित है। उपर्युक्त संख्या उद्यम हेतु प्रस्ताव है, समस्त जानकारियाँ पूर्ण एवं नियमानुसार होने पर ही उपर्युक्त आवेदन पंजीकृत किए जाते हैं।

उद्योग विभाग द्वारा पंजीयन प्रस्ताव की उपरोक्त व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। उद्यमी वर्ग द्वारा प्रारम्भ में ऑनलाई फार्म भरने की व्यवस्था के साथ–साथ एडिट ऑप्शन की मांग की गयी थी, किन्तु विभाग द्वारा इस मांग को स्वीकार न कर इसके विकल्प में उत्पादन प्रमाण पत्र के साथ परिवर्तित जानकारी को प्रेषित करने का विकल्प दिया है, साथ ही यदि परिवर्तन के बाद भी जानकारी भेजी जाती है, तो उद्योग विभाग द्वारा मान्य होगी। उद्यमी वर्ग द्वारा ऑनलाईन फार्म में अपूर्ण जानकारी देने पर प्रस्ताव की स्वीकृति में विलम्ब होता है। साथ ही इंटरनेट या नेटवर्क की बाधाएँ होने पर भी उद्यमी वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निदान के लिये विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों को उच्च तकनीक से इंटरनेट प्रशिक्षित कर्मचारी एवं कम्प्यूटर आदि उपलब्ध कराना होगा। ताकि पंजीयन की ऑनलाईन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

इस प्रकार उद्यम आकांक्षा व्यवस्था के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य आज पूरे देश में रोल मॉडल बन चुका है। देश के विभिन्न राज्य यथा राजस्थान, झारखंड, बिहार आदि राज्यों ने छत्तीसगढ़ का अनुसरण करते हुए उद्यम आकांक्षा की व्यवस्था को लागू किया है। उद्योग विभाग की इस व्यवस्था से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के कार्यभार में भी कमी आयी है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को अनुदान या छूट से सम्बंधित प्रपत्रों को संचालनालय में जमा नहीं करने होते हैं, क्योंकि उद्योग प्रस्ताव एवं पंजीकृत उद्योगों की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त हो जाती है। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहेगी एवं भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार की सरलीकृत, स्वप्रमाणीकरण एवं पंजीकरण प्रक्रिया उद्यमी वर्ग एवं राज्य शासन दोनों के लिए लाभकारी होगी।

संदर्भ :

(1) प्रशासकीय प्रतिवेदन 2015–16 वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग छत्तीसगढ़ भासन

(2) प्रशासकीय प्रतिवेदन 2016–17 वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन।

(3) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ–20–4–2016–11(6) दिनांक 6 फरवरी 2016.

(4) https://economic times india times.com/small-biz/sme sector feb. 9, 2016

(5) Digital.dprcg.gov.in 8 feb. 2016

(6) Industries.cg.gov.in/udtank_info.aspx

❆❆

UGC -

APPROVED - JOURNAL

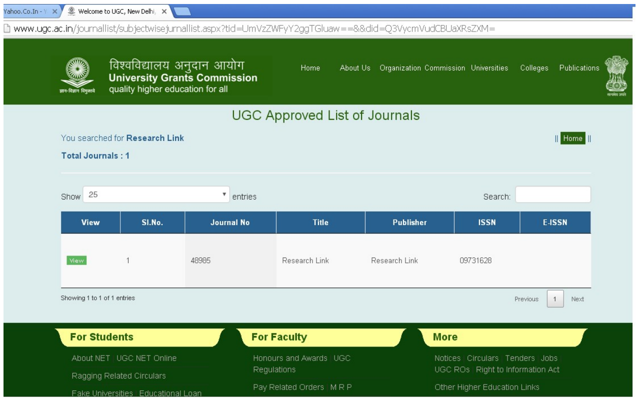

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Commerce
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 26-28
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक विकास में योजनाओं का मूल्यांकन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक विकास में योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। निगम के द्वारा लक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार) के आर्थिक विकास में क्या भूमिका रही, इसका पता लगाना रहा है। इस हेतु इनकी विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित आंकड़ों को दर्शाया गया है तथा निगम द्वारा लक्षित वर्ग के लोगों को उनके द्वारा चयनित व्यवसाय/उद्योग के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रुप से स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्यधारा में जोड़ना तथा उनके अंदर स्वरोजगार हेतु मानसिकता विकसित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इनके लिए लघु एवं मध्यम ऋण की सुविधा एवं विभाग द्वारा ऋण वितरण एवं उसकी वसूली का भी विश्लेषण किया गया है। साथ ही निगम इन लक्षित वर्गों के आर्थिक विकास में कहाँ तक सफल रहा है, इसका भी विश्लेषण किया गया है।

युगेश्वरी साहू* एवं डॉ.के.एल.टाण्डेकर**

प्रस्तावना :

भारतीय समाज में लक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगार वर्ग) की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में अनुसूचित जाति 12.82 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 30.62 प्रतिशत है। किसी भी देश, राज्य तथा जिले का सम्पूर्ण विकास न हो जाए। इन लक्षित वर्गो के पास योग्यता तो होती है किन्तु वे अपनी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण स्वयं का रोजगार प्रारम्भ नही कर पाते। यदि इन लक्षित वर्गो को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त हो, तो वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त एवं विकसित हो सकेंगे।

लक्षित वर्ग के लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुनर्गठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक – 2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक – 04 सन् 2000) के अंतर्गत किया गया है। यह निगम अनुसूचित जाति वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है।

निगम का मुख्य उद्देश्य यहाँ निवासरत लक्षित वर्ग के लोगों को उनके द्वारा चयनित व्यवसाय/उद्योग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाकर व्यवसाय की मुख्यधारा से जोड़ने एवं बेरोजगार युवकों में व्यवसायिक मानसिकता विकसित होने से वे व्यवसाय कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे है।

उद्देश्य :

(1) अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का लक्षित वर्ग के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

(2) निगम की योजनाएं लक्षित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विकास में कितनी सहायक सिद्ध हुई का विश्लेषण करना।

(3) निगम की योजनाओं से लक्षित वर्ग के स्वरोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

(1) छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रही है। (2) निगम की योजनाओं का लक्षित वर्ग के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव रहा है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत अध्ययन में इससे संबंधित द्वितीयक समंक छत्तीसगढ़ अत्यावसायी सहकार वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों तथा प्राथमिक समंक हितग्राहियों से साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किए गए हैं। आर्थिक विकास की स्थिति जानने के लिए निगम से प्राप्त हितग्राहियों की सूची में से 150 हितग्राहियों का चयन किया गया है।

द्वितीयक समंकों के संकलन में प्रकाशित पुस्तकों, प्रतिवेदनों, समाचार पत्रों एवं पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकालय में सुरक्षित पूर्ववर्ती शोध–प्रबंध आदि की सहायता ली गई। योजना से संबंधित जानकारी निगम द्वारा प्रकाशित लेखों व प्रतिवेदनों से प्राप्त की गई तथा गत छः वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है।

***शोधछात्रा, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)**
****शोध-निर्देशक एवं प्राचार्य, शासकीय डॉ.भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)**

अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत अध्ययन हेतु राजनांदगांव जिले का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित के आर्थिक विकास योंजनाओं के मूल्यांकन का अध्यययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र का चयन जिले में निगम द्वारा लक्षित वर्गो को दी जा रही ऋण एवं आर्थिक सहायता का विश्लेषण करना है, जिसके लिए राजनांदगांव जिले के नौ विकासखण्डों, राजनांदगांव, डोंगरगांव, चौकी, छुरिया, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, छुईखदान, डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है, ताकि जिले में निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्गो के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जा सके।

जिले में लक्षित वर्ग के लिए संचालित योजनाएँ :

(अ) अनुसूचित जाति के लिए :

(1) महिला समृद्धि योजना : महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के महिलाओं को दुकान की साज सज्जा एवं समान के लिए कार्यशील पूँजी लगाने के लिए 30,000–50,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है।

(2) माइक्रो क्रेडिट योजना : माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की महिला या पुरूष दोनो वर्गो को लघु व्यवसाय हेतु 30,000–50,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाती है।

(3) मिनीमाता स्वालंबन योजना : इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय के इच्छुक हितग्राहियों को 1.50 लाख (1.00 लाख दुकान निर्माण एवं 0.50 लाख कार्यशील पूँजी) प्रदान किया जाता है।

(4) अन्य योजनाएँ : ट्रेक्टर ट्राली योजना, आटो पैसेंजर, लघु व्यवसाय, शिक्षा ऋण आदि। योजनाएं भी संचालित की जाती है।

(ब) अनुसूचित जनजाति के लिए :

(1) महिला सशक्तिकरण योजना : इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 50,000 रूपये तक का ऋण 5 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत ब्याज की दर से प्रदान किया जाता है।

(2) गुड्स कैरियर योजना : इस योजना के तहत इस वर्ग के लोगो को परिवहन वाहन क्रय करने के लिए 4,25,000 रूपये तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

(3) शहीद वीर नारायण सिंह स्वालंबन योजना : इसमें इस वर्ग के हितग्राहियों को बगैर गारंटी अनुबंध के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। इस योजना में इकाई लागत राशि 1,50000 रूपये हितग्राहियों को दिया जाता है।

(4) अन्य योजनाएँ : शिक्षा ऋण योजना, स्माल बिजनेस योजना, आदिवासी स्वरोजगार योजना, गुड्स केरियर योजनाएँ भी इस वर्ग के लिए संचालित की जा रही हैं।

(स) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :

(1) माइक्रोक्रेडिट योजना : इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 25,000 रूपये 6 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया जाता है।

(2) नई स्वर्णिमा योजना : पिछड़ा वर्ग की केवल महिला हितग्राहियों को 1,00,000 रूपये तक का ऋण 5 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है इससे महिला हितग्राही अपना छोटा व्यवसाय कर स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सकती है।

(3) शिक्षा ऋण योजना : इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 5,00,000 रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

(4) सामान्य ऋण : इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को व्यक्तिगत रूप से 1,00,000 रूपये तक का ऋण किसी भी व्यवसाय के लिए 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के साथ 5 वर्ष के लिए दिया जाता है।

(द) अल्पसंख्यक वर्ग के लिए :

(1) मध्यम ऋण योजना : इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को स्वयं का लघु व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 50,000 रूपये तक का ऋण 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

(2) अल्पसंख्यक बड़ी ऋण योजना : इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को बड़े ऋण के रूप में 1,00,000 रूपये तक का ऋण 5 वर्ष के लिए दिया जाता है।

(3) शिक्षा ऋण : इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 2,50,000 रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

(ई) सफाई कामगार के लिए :

(1) माइक्रोक्रेडिट योजना : इस योजना के तहत् 30,000 रूपये तक का ऋण 3 वर्ष के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है।

(2) महिला अधिकारिता योजना : महिला अधिकारिता योजना के अंतर्गत सफाई कामगार वर्ग की महिलाओं को 50,000 रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

(3) महिला समृद्धि योजना : महिलाओं को व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए 30,000 रूपये तक का ऋण 3 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित राजनांदगांव के वर्गवार योजनाओं के आँकड़े (वर्ष 2000 से जून 2016 तक) (राशि लाख में)

क्र.	विवरण	वितरित राशि	वसूल की गई राशि	बकाया राशि	वसूली का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	32767840	18598430	14169410	56.75
2.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	50337405	25650839	24686566	50.95
3.	सफाई कामगार	12851766	2256663	10596103	17.55
4.	पिछड़ा वर्ग	7304968	3823932	3481036	52.35
5.	अल्पसंख्यक वर्ग	5003145	1515493	3487652	30.29
	योग	108265124	51844357	56420767	47.88

उपर्युक्त तालिका जिले में वर्गवार अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या. के आंकड़ों को दर्शाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग में वसूली का प्रतिशत 56.75 है, जो अन्य वर्गो की तुलना में सर्वाधिक है। इसका कारण इन वर्गो का शिक्षित एवं

जागरूक होना दिखाई देता है। इसके पश्चात् पिछड़ा वर्ग में वसूली का प्रतिशत 52.35 प्रतिशत जनजाति में 50.95 प्रतिशत, अल्पसंख्यक वर्ग में 30.29 प्रतिशत तथा सबसे कम सफाई कामगार 17.55 प्रतिशत है।

ऋण का प्रतिशत कम होने से जिले में निगम की राशि विभिन्न राष्ट्रीय निगमों को समय पर नही लौटाने में कठिनाई होती है व आने वाले वर्षो में ये लक्ष्य प्राप्त करने में विलंब तथा भविष्य में वितरण करने में कठिनाई होती है जिले में कुल वसूली का प्रतिशत 47.88 है, जो अन्य जिलों की तुलना में अच्छा है। आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सभी वर्गो का आर्थिक विकास हुआ है।

योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के आर्थिक विकास की स्थिति संबंधी आंकड़े

क्र.	आर्थिक सुधार की स्थिति	जिला राजनांदगांव	
		आवृति	प्रतिशत
1.	हाँ	107	71.33
2.	नही	22	14.67
3.	तटस्थ	21	14.00
योग		150	100

उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि, जिले में निगम की योजनाओं से हितग्राहियों की आर्थिक विकास की स्थिति में सुधार हुआ है। प्राप्त समंको में 71.33 प्रतिशत हितग्राहियों ने हाँ में उत्तर दिया ये ऐसे हितग्राही है, जिन्होने विभाग की योजनाओं से जुड़कर व्यवसाय कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए हैं। इसमें महिलाएँ भी शमिल है। इसी प्रकार 14.67 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया तथा 14 प्रतिशत ने तटस्थ में उत्तर दिया ये ऐसे हितग्राही जिसमें से कुछ ने ऋण तो लिया पर उसका उपयोग पूँजी निर्माण में नहीं किया, इसका कारण इनमें अशिक्षा एवं आत्मविश्वास की कमी है। इन समूहो के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जिले में छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित की योजनाओं ने लक्षित वर्गो के आर्थिक विकास में अपनी महती भूमिका निभायी है। हितग्राहियों के आय में वृद्धि हुई है, हितग्राही निगम द्वारा ऋण लेकर विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार से जुड़े हैं। इसके अलावा ऋण राशि का उपयोग अन्य कार्यो में भी किया जा रहा है। निगम द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त राशि ऋण उद्देश्य हेतु पर्याप्त है। हितग्राही निगम की विभिन्न सेवाओं से संतुष्ट है। निगम ने वित्तीय सहायता के अलावा हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी देने का प्रयास किया है, जो उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करती है। निष्कर्ष में हमने यह भी पाया कि वितरित राशि का लगभग 50 प्रतिशत वसूली हो पायी है तथा निगम ऋण वसूली के प्रति उदार है। निगम के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् भी कुछ कमी या समस्याएँ दृष्टिगोचर होती है, जिसके लिए सुझाव प्रस्तुत है।

सुझाव :

(1) निगम की ऋण लेने की औपचारिकताओं को कम करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हे समय रहते सरलता से ऋण प्राप्त हो सके।

(2) निगम द्वारा ऋण राशि पर लिये जाने वाले ब्याज की दर को कम किया जाना चाहिए, जिससे उन्हे आर्थिक भार कम पड़े।

(3) विभाग की योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे अंतिम हितग्राही इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

(4) ऋण वितरण, वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

(5) लघु एवं मध्यम वित्त पोषण योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

(6) कालातित ऋण की वसूली किया जाना चाहिए।

संदर्भ :

(1) जिला अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम राजनांदगांव द्वारा प्रकाशित पुस्तिका।

(2) आर्थिक विकास की योजना मार्गदर्शिका छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्या. रायपुर।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं निगम की उपविधि।

(4) शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना सफलता की कहानी 2012.

(5) मिनीमाता स्वालंबन योजना सफलता की कहानी 2012 छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्या रायपुर।

(6) मार्गदर्शिका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली।

(7) खुदशाह, संजीव : सफाई कामगार समुदाय, रामकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली।

(8) बघेल, डॉ. डी. एस. (2007) : भारतीय समाज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।

(9) नायडू, पी. आर. (2002) : भारत के आदिवासी विकास की समस्या, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

UGC -

APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science